

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी 2025—माघ 16, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2025

क्र. 1997-14-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी, 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. धारा ३ का संशोधन
3. धारा ५ का संशोधन.
4. धारा ६ का संशोधन.
5. धारा ३३ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक ३० जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ फरवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम, २००२ (क्रमांक ५ सन् २००३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—
(एक) खण्ड (घ) में, शब्द "सतना" के स्थान पर, शब्द "मैहर" स्थापित किया जाए;
(दो) खण्ड (च) में, शब्द "जिला न्यायाधीश, सतना" के स्थान पर, शब्द "सक्षम न्यायालय, जिसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जिला मैहर हो" स्थापित किए जाएं;
(तीन) खण्ड (झ) में, शब्द "सतना" के स्थान पर, शब्द "मैहर" स्थापित किया जाए;
- धारा ५ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द "सतना" के स्थान पर शब्द "मैहर" स्थापित किया जाए.
- धारा ६ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (१) में, शब्द "सतना" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "मैहर" स्थापित किया जाए.
- धारा ३३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ३३ में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन अधिनियम, १८६४ (१८६४ का १)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का संख्यांक ३०)" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2025

क्र. 1997-14-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2025

THE MADHYA PRADESH MAA SHARDA DEVI MANDIR (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 5.
4. Amendment of Section 6.
5. Amendment of Section 33.

MADHYA PRADESH ACT

No. 8 OF 2025

THE MADHYA PRADESH MAA SHARDA DEVI MANDIR
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 30th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th February, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Maa Sharda Devi Mandir Adhiniyam, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India, as follows:-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Short title and commencement. | 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Maa Sharda Devi Mandir (Sanshodhan), Adhiniyam 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette. |
| Amendment of Section 3. | 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Maa Sharda Devi Mandir Adhiniyam, 2002 (No. 5 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act),-
(i) in clause (d), for the word "Satna", the word "Maihar" shall be substituted;
(ii) in clause (f), for the words "District Judge, Satna", the words Competent Court which has territorial jurisdiction in the district Maihar" shall be substituted;
(iii) in clause (i), for the word "Satna", the word "Maihar" shall be substituted. |
| Amendment of Section 5. | 3. In Section 5 of the principal Act, in sub-section (3), for the word "Satna", the word "Maihar" shall be substituted. |
| Amendment of Section 6. | 4. In Section 6 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "Satna" wherever it occurs, the word "Maihar" shall be substituted. |
| Amendment of Section 33. | 5. In Section 33 of the principal Act, for the words, figures and brackets "the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894)", the words, figures and brackets "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted. |